पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0 (अना0)–34 / 2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
केन्द्रीय यांत्रिक कर्मशाला परिसर, हवाई अड्डा के निकट शेखपुरा पटना–800014.
(Email:-bsrdcltd@gmail.com)

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया अन्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–95 (मानसी –सहरसा–हरदी चौधरा पथ) के मानसी से फनगों हाल्ट के बीच कराचीन बदलाघाट के कि0मी0 47.20 से कि0मी0 47.50 एवं बदलाघाट नगरपाड़ा बाँध के कि0 मी0 0.00 से कि0 कि0 मी0 0.250 के बीच पड़ने बाले ROB एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत संशोधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया अन्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–95 (मानसी –सहरसा–हरदी चौधरा पथ) के मानसी से फनगों हाल्ट के बीच कराचीन बदलाघाट के कि0मी0 47.20 से कि0मी0 47.50 एवं बदलाघाट नगरपाड़ा बाँध के कि0 मी0 0.00 से कि0 कि0 मी0 0.250 के बीच पड़ने बाले ROB एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत संशोधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती हैः–

जलीय आँकड़ेः–

Design Discharge of River (Bagmati)	8245.70 Cumec
HFL	41.013 m

शर्तेंः–

1. निर्माण स्थल के समीप तटबंध के रिभर साईड एवं कन्ट्री साईड में तटबंध के H.F.L तक स्लोप पिचिंग कार्य यथा बोल्डर पीचिंग कराना अनिवार्य होगा।
2. Road over bridge (ROB) निर्माण के समय Carriage of materials हेतु तटबंध के उपर Heavy Vehicles चलने की संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से Approach (both sides) slope road एवं तटबंध के Adequate length में Top surface पर GSB बिछाने के उपरान्त पक्कीकरण करना आवश्यक होगा।
3. Road over bridge (ROB) निर्माण के उपरान्त भी तटबंध की मरम्मति / संपोषण एवं भारी वाहनों का आवागमन निर्बाध रूप से चालू रहे, इस निमित्त Road over bridge (ROB) एवं तटबंध के मिलान बिन्दु पर तटबंध के Top Level से soffit of girder का minimum vertical clearance 5.00m रखना अनिवार्य होगा।

4. Road over bridge (ROB) के उपर से तटबंध पर आने वाले वर्षा के पानी का सुरक्षित निकास हेतु Slope drain, catch water drain, toe drain, etc. का निर्माण आवश्यक है।
5. प्रस्तावित Road over bridge (R.O.B) स्थल के समीप level crossing के दोनों तरफ (Both side) बाँध पर turning platform (Size 30m x 8m) का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
6. Service road का प्रावधान पुल के Retaining wall के दोनो ओर किया जाय तथा Service road का Top Level River side (H.F.L+ 1.50m) तथा Country side (H.F.L + 0.50m) रखा जाय।
7. नदी की ओर Retaining wall के बाद Boulder pitching तथा Launching apron का प्रावधान River discharge के अनुरूप रूपांकण करते हुए निर्माण कार्य कराना होगा।
8. Retaining Wall के साथ–साथ Bridge के Pier एवं Foundation का निर्माण किया जाना है, जिसके कारण तटबंध क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए उक्त भाग में तटबंध की मिट्टी का 95% Compaction करते हुए रूपांकित Section में भी करना अनिवार्य होगा।
9. कराचीन–बदलाघाट तटबंध से बदलाघाट–नगरपारा तटबंध निरीक्षण हेतु रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के प्रस्तावित R.O.B एवं पहुँच पथ से सर्विस रोड लेन का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि R.O.B एवं पहुँच पथ द्वारा रेलवे लाईन के दूसरी तरफ तटबंध का निरीक्षण किया जा सके।
10. R.O.B एवं पहुँच पथ निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा एवं पुल निर्माण कार्य सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ कराना होगा।
11. यह सुनिश्चित करना होगा कि R.O.B एवं पहुँच पथ निर्माण के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही हो तथा अन्य जलीय संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हो।
12. R.O.B एवं पहुँच पथ निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी।
13. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
14. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में R.O.B एवं पहुँच पथ निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी देयता कार्यकारी विभाग (बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शर्त प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
15. R.O.B एवं पहुँच पथ निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
16. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।
17. **यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति केवल जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।**
18. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का होगा ।
19. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।

20. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता की होगी।
21. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
22. "प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति" में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।
23. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"
24. जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निर्माण के दौरान तटबंध की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिए गए आवश्यक सुझाव/निदेशों का कार्यकारी विभाग Bihar State road development Corporation Limited द्वारा दृढ़ता से पालन करना होगा।
25. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
26. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश–सह–ज्ञापांक–यो0 मो0–4 (विविध)07–372/2020–पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किये गये Flood Plain zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा (जल संसाधन विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध)।
27. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– बा० नि० रूपा० ग्र०-1-तट०(अना०)-34/2025 157 पटना, दिनांक : 11/06/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/06/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय